न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/41

प्रार्थी :–
पारसराम पुत्र रामपाल जाति गाली निवासी ग्राम नानण तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

अप्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
श्री अभिषेक कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

दर्ज तारीख :– 13.02.2023

आदेश

दिनांक : 09.09.2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम नानण की राजस्व सीमा में प्रार्थी की सयुक्त कब्जासुद जमीन आई हुई हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
333	145	4.4819 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	146/2	1.0113 हैक्टयर	बारानी तृतीय
334	145/1	4.3686 हैक्टयर	बारानी प्रथम

कुल खसरा 03 कुल रकबा 9.8618 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 145, 146 / 2 में परसाराम पुत्र रामपाल व खसरा नम्बर 145/1 में परसराम पुत्र रामपाल गलत रूप से इन्द्राज हो गया जबकि प्रार्थी का नाम पारसराम पुत्र रामपाल है प्रार्थी ने अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी के कार्यालय मे सम्पर्क किया अप्रार्थी ने उक्त दुरुस्ती न्यायालय हाजा से ही करवाने बाबत कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र रेकार्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से साहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। लेकिन प्रार्थी के खसरा नम्बर 145 व 146 / 2 में प्रार्थी का नाम परसाराम पुत्र रामपाल व प्रार्थी के दूसरे खसरा 145/1 में प्रार्थी का नाम गलत रूप से परसराम पुत्र रामपाल दर्ज हो गया प्रार्थी उक्त दुरूस्ती करवाकर अपना नाम संशोधन करवाना चाहाता है। परसाराम पुत्र रामपाल व परसराम पुत्र रामपाल राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से इद्राज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक रेकार्डेड नाम पारसराम पुत्र रामपाल है इसलिए राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी अपना परसाराम पुत्र रामपाल व परसराम पुत्र रामपाल के स्थान दुरूस्त करवाकर पारसराम

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

पुत्र रामपाल इद्राज करवाना चाहता है। उक्त दुरूस्ती से अन्य सहखातेदारान पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा हिस्सा प्रभावित नही होगा। प्रार्थी का नाम पारसराम पुत्र रामपाल है तथा आधार कार्ड, परिवार कार्ड व अन्य दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम पारसराम पुत्र रामपाल ही है इसलिए प्रार्थी रेकार्ड दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 145 व 146/2 में परसाराम पुत्र रामपाल व खसरा नम्बर 145/1 में परसराम पुत्र रामपाल के स्थान पर पारसराम पुत्र रामपाल इन्द्राज करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड में परसाराम पुत्र रामपाल व परसराम पुत्र रामपाल के स्थान पर दुरूस्ती फरमायी जाकर पारसराम पुत्र रामपाल नाम दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि खाता सं. 333 व 334 में परसराम पुत्र रामपाल दर्ज है जो कि गलत हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की मजमे आम जांच की गई पाया कि उनका सही नाम पारसराम पुत्र रामपाल हैं। परसराम व पासरराम दोनो एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी का नाम पारसराम पुत्र रामपाल किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम नानण की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 145, 146/2, 145/1, कुल रकबा 9.8618 हैक्टयर में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त खसरे में दर्ज नाम परसराम पुत्र रामपाल के स्थान पर पारसराम पुत्र रामपाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने भी इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नानण की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 145, 146/2, 145/1, में दर्ज नाम परसाराम पुत्र रामपाल व परसराम पुत्र रामपाल के स्थान पर पारसराम पुत्र रामपाल दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 09.09.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर